बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषय :– मांग संख्या–37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना एवं विकास विभाग से योजना उद्व्यय हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मुख्य शीर्ष 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष– 00– लघु शीर्ष–103– ग्राम विकास, उप शीर्ष–0121 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि ₹ 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण/Defect Liability अवधि से बाहर के पथों को चिन्हित कर व्यवस्थित/ पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण कार्य किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना लागू की गई है।

1. वर्णित परिदृश्य में ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं इसके नए अवयव के रूप में स्वीकृत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण/Defect Liability अवधि से बाहर हुए सभी पथों को वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रियान्वयन कराया जाता है।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 403 पथ, कुल लम्बाई–1668.92 कि0मी0, राशि ₹ 1499.75 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024–25 में 11666 पथ, कुल लम्बाई–19945.41 कि0मी0, राशि ₹ 17971.72 करोड़ तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अबतक 3857 पथ, कुल लम्बाई–6097.61 कि0मी0, राशि ₹ 5323.49 करोड़ रू0 मात्र की योजनाएँ स्वीकृति की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत योजनाओं के शत–प्रतिशत मूल कार्य, वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के मूल कार्य का 50 प्रतिशत कार्य तथा चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं के मूल कार्य का 20 प्रतिशत कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि ₹ 8112.71 करोड़ का भुगतान किये जाने की आवश्यकता होगी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्दिष्ट मद में प्रावधानित राशि ₹ 2348.41 करोड़ मात्र का व्यय हो चुका है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजनाओं में सृजित दायित्व एवं दिसम्बर–2025 तक सृजित होने वाले दायित्व के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि ₹ 250.00 करोड़ के तत्काल प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि के प्रावधान की आवश्यकता को देखते हुए विभागीय पत्रांक–9273 दिनांक–28.08.2025 के द्वारा अतिरिक्त योजना उद्व्यय उपलब्ध कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग से अनुरोध किया गया है।

6. उपरोक्त वर्णित परिदृश्य में बजटीय उपबंध के अतिरिक्त प्रावधान हेतु सम्प्रति **" मांग संख्या–37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना एवं विकास विभाग से योजना उद्व्यय हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मुख्य शीर्ष 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष– 00– लघु शीर्ष–103– ग्राम विकास, उप शीर्ष–0121 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि ₹ 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति"** मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/10/25

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–02–10/2025 - 10407 पटना, दिनांक– 04.10.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–10 / 2025 - 10497 पटना, दिनांक– 04.10.2025

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–10 / 2025 - 10497 पटना, दिनांक– 04.10.2025

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–10 / 2025 - 10497 पटना, दिनांक– 04.10.2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0 / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव, ब्राडा / सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–10 / 2025 - 10497 पटना, दिनांक– 04.10.2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव